भीम BHIM

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(26)छात्रवृति/सान्याअवि/पोर्टल/विशेष अभियान/2020-21/3810 दिनांक 18.08.2022

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 में विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन किये गये आवेदन पत्र जो कि विभाग को 30 जून 2022 तक ही शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से समस्त वांछित पूर्तियों के साथ अग्रेषित किये जाने थे। किन्तु उक्त तिथि पश्चात भी विद्यार्थी अथवा शिक्षण संस्थान पर अधिक संख्या में आवेदन पत्र लम्बित प्रदर्शित हुए, जिनकी आक्षेपपूर्ति कर विभाग को अग्रेषित किये जाने हेतु विभाग द्वारा 22 जुलाई, 2022 तक अवसर प्रदान कर विभिन्न माध्यमों प्रेस नोट, विज्ञप्ति, एसएमएस सोशल मीडिया आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को सूचित किया गया। किन्तु उक्त तिथि के पश्चात भी कतिपय आवेदन पत्र विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान के स्तर पर लम्बित प्रदर्शित हो रहें है।

अतः उक्तानुसार लम्बित आवेदन पत्रों की आक्षेपपूर्ति कर विभाग को अग्रेषित किये जाने एवं विभाग द्वारा निस्तारित किये जाने हेतु अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2022 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों को निदेशालय स्तर से स्वतः निरस्त/बन्द कर दिया जावेगा।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)(26)छात्रवृति/सान्याअवि/पोर्टल/विशेष अभियान/2020-21/3811-30 दिनांक 18.08.2022

1.विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2.निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3.निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
4.निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
5.निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
6.निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
7.जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
8.वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9.संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
10.रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त..............।

E:\SB 2022\ORDER & VIGYAPTI.DOCX

11.जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त...।

12प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.........................।

13.प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.................।

14.अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त..............................।

15.संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.............................।

16.एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को बेवसाईट पर अपलोड करवायें एवं उक्तानुसार निर्धारित तिथि पश्चात लम्बित आवेदन पत्रों को छात्रवृति पोर्टल पर निरस्त/बन्द करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

17.उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने ।

18.उप/सहायक निदेशक (समस्त)........................... को प्रेषित कर लेख है कि अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर उक्तानुसार निर्धारित अंतिम तिथी तक आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चत करें।

19.सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

20.रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)